

निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा, आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 112/2020 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)
आधार हाउसिंग फाईनेन्स लि. सी-98, 5 वीं मंजिल, सांघी उपसना टावर, सुभाष मार्ग, अहिंसा सर्किल,
सी-स्कीम, जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजेन्द्र सैन,
पता :- 13, गजकृपा भवन, पुरानी पुलिस लाईन, राय का बाग, जोधपुर, राजस्थान ।
एवं राजस्थान टैक्सटाईल्स डवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन, महाराजगज सिंह विश्राम भवन, अपोजिट आर.के.
के. जी.पी.एस. स्कूल, राय का बाग, जोधपुर, राजस्थान ।
एवं प्लाट नम्बर 32-ए, घाटियाला नगर, कुन्ड रोड, जयसिंहपुरा खोर, जयपुर ।
2. सुरेन्द्र कुमार सैन
पता :- प्लाट नम्बर 32-ए, घाटियाला, नंद वाटिका कुंड रोड, जयसिंहपुरा खोर, जयपुर ।

अप्रार्थी

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and
reconstruction of financial assets and enforcement of security
interest Act.2002.

उपस्थित:-

1. श्री गोपेश कुम्भज अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।



आदेश

दिनांक 19.01.2021

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को 16.05.2018 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी राजेन्द्र सैन के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लाट नम्बर 32-ए, घाटियाला, नंद वाटिका कुंड रोड, जयसिंहपुरा खोर, जयपुर क्षेत्रफल 49.13 वर्गगज को बन्धक रख कर दिनांक 16.05.2018 को राशि 05,85,469/-रूपये एवं दिनांक 07.07.2018 को राशि 01,06,178/- रूपये कुल 06,91,674/-रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 17.10.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

2. प्रकरण दर्ज किया जाकर न्यायहित में ऋणी को सूचना पत्र रजिस्टर्ड जारी किया गया। अप्रार्थी उपस्थित नहीं हुआ।
3. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 दिसम्बर 2015 से सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत क्रम संख्या 01 पर वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को 05,85,000/-रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार, ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 06,08,398/-रूपये एवं 01,13,939/- रूपये कुल 07,22,337/- रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 17.10.2019 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।



6. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी राजेन्द्र सैन के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 32-ए, घाटिवाला, नंद वाटिका कुंड रोड, जयसिंहपुरा खोर, जयपुर क्षेत्रफल 49.13 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
7. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करे एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफतर हो।
8. आदेश आज दिनांक 19.01.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

19/1/21
(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर